सत्र परीक्षण सं0–24 , 25 , 26 व 27 सन 2012

UPJB010015752012

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03 , जनपद अमरोहा।

पीठासीन अधिकारी–संजय चौधरी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं0–24/2012

सरकार बनाम 01. सत्यपाल पुत्र हेमराज ,
02. कमनपाल पुत्र सूखा ,
निवासीगण ग्राम बटुआ , थाना पाकबाड़ा , जिला मुरादाबाद।
03. जयपाल पुत्र गंगाराम सैनी ,
ग्राम जीबपुर दढ़ियाल , थाना आदमपुर , जिला अमरोहा ।

मुकदमा अपराध सं0–1319/2004
धारा– 307/34 भा0 दं0 सं0
थाना–हसनपुर , जिला अमरोहा

एवं

UPJB010010642012

सत्र परीक्षण सं0–25/2012

सरकार बनाम सत्यपाल पुत्र हेमराज ,
निवासीगण ग्राम बटुआ , थाना पाकबाड़ा , जिला मुरादाबाद।

मुकदमा अपराध सं0–1320/2004
धारा– 25 आयुध अधिनियम
थाना–हसनपुर , जिला अमरोहा।

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.06.06 16:44:52 PKT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सत्र परीक्षण सं0–24 , 25 , 26 व 27 सन 2012

एवं

UPJB010014042012

सत्र परीक्षण सं0–26/2012

सरकार बनाम कमनपाल पुत्र सूखा ,
निवासीगण ग्राम बटुआ , थाना पाकबाड़ा , जिला मुरादाबाद।

मुकदमा अपराध सं0–1321/2004
धारा– 4/25 आयुध अधिनियम
थाना–हसनपुर , जिला अमरोहा ।

एवं

UPJB010010662012

सत्र परीक्षण सं0–27/2012

सरकार बनाम जयपाल पुत्र गंगाराम सैनी ,
ग्राम जीबपुर दढ़ियाल , थाना आदमपुर , जिला अमरोहा ।

मुकदमा अपराध सं0–1322/2004
धारा– 4/25 आयुध अधिनियम
थाना–हसनपुर , जिला अमरोहा ।

निर्णय

उपरोक्त चारों सत्र परीक्षण एक ही घटना से सम्बन्धित हैं, इसलिए इनका निस्तारण एक ही साथ किया जा रहा है। सत्र परीक्षण संख्या–24/2012 राज्य बनाम सत्यपाल आदि की पत्रावली को अग्रणी वाद बनाया गया और इसी वाद में अभियोजन तथा बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

सत्र परीक्षण सं0–24 , 25 , 26 व 27 सन 2012

<u>मामले के तथ्य–</u>

सत्र विचारणीय मुकदमा सं0 24 , 25 , 26 व 27 सन 2012 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमरोहा के सुपुर्दगी आदेश दिनांक **11.01.2012** के उपरान्त सत्र न्यायालय में उपरोक्त क्रमांको पर दर्ज होने के उपरान्त संस्थित हुए , जो आज विचारण के पश्चात निर्णय के लिए प्रस्तुत हुए हैं।

2. इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 28.12.2004 रपट नं0 44 समय 17.40 बजे मदनपाल पुत्र दर्शन दयाल सिंह निवासी पेतई भूड , थाना हसनपुर ने अमरोहा नगर वादी मु0 अ 0 सं0 1317/2004 धारा 324 भा0 दं0 सं0 ने थाने पर सूचना दी कि दिनांक 27.12.2004 को ग्राम डोम खेड़ा के जंगल में उसके साथ घटना हुयी थी , उस घटना में शामिल तीन व्यक्ति सम्भल अड्डे से ग्राम हैवतपुर की तरफ गये हैं। इस सूचना पर मैं एस 0 आई 0 वीरेन्द्र सिंह, विनोद , हरेन्द्र , योगेन्द्र त्यागी, वादी उपरोक्त को लेकर निजी मोटर साइकिलों से सम्भल अड्डे पर आये। गवाहान तलाशने का प्रयास किया, लेकिन जनता का कोई गवाह तैयार नहीं हुआ और बिना नाम बताये चले गये। इसके बाद हम सम्भल अड्डे से हैवतपुर की ओर चल दिये। खड़ंजा समाप्त होने पर जब पक्की सड़क पर पहुँचे तो सड़क पर तीन व्यक्ति खड़े दिखाई दिये। पास पहुंचने पर एक ने कहा कि पुलिस आ गयी है, सालो को जान से मार दो। जिस पर एक बदमाश ने हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से अपने तमंचे से फायर किया, जिससे हम बाल–बाल बच गये। जिस पर हम पुलिस वालों ने साहस का परिचय देते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर पक्की सड़क पर खड़ंजे से करीब 20–25 कदम पर ग्राम हैवतपुर की तरफ समय करीब 18.30 बजे तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम–पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो एक ने अपना नाम सत्यपाल पुत्र हैमराज निवासी ग्राम बटुआ थाना पाकबड़ा जिला मुरादाबाद बताया, जिसकी जामा तलाशी पर इसके दाहिने हाथ से एक अदद तमंचा देसी 12 बोर मय जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। तमंचे की नाल से ताजा चले कारतूस की गंध आ रही थी तथा पहनी पैंट की दाहिनी जेब से दो जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुए। पकड़े गये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम कमनपाल पुत्र सूखा निवासी ग्राम बटुआ थाना पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद बताया, जिसकी जामा तलाशी पर पहनी पैंट की दाहिनी जेब से एक अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ। पकड़े गये तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम जयपाल सैनी पुत्र गंगाराम सैनी निवासी ग्राम दढ़ियाल थाना आदमपुर जनपद अमरोहा बताया। उसकी पहनी पैंट की दाहिनी जेब से एक अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ। पकड़े गये अभियुक्तगण से तमंचा व कारतूस व चाकू रखने का लाइसेंस माँगा गया तो वह दिखा नहीं पाये। अभियुक्तगण को उनके जुर्म धारा 307 आई 0 पी0 सी0, 25 व 4/25 आर्म्स एक्ट से अवगत कराया गया। अभियुक्तगण से बरामद तमंचे व चाकुओं को मौके पर ही सील सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार की गयी तथा मदनपाल पुत्र दर्शन सिंह ने तीनों व्यक्तियों को पहचान कर कहा कि यह वही तीनों व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे साथ घटना कारित की थी।

इस लिखित सूचना पर थाना हसनपुर में दिनांक 28.12.2004 को 21:30 बजे मुकदमा अपराध सं०–1319/2004 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता , अभियुक्तगण सत्यपाल, कमनपाल व जयपाल के विरुद्ध दर्ज किया गया। मुकदमा अपराध सं0 1320/2004 अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम , अभियुक्त सत्यपाल के विरूद्ध दर्ज किया गया। मुकदमा अपराध सं0 1321/2004 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम , अभियुक्त कमनपाल के विरूद्ध दर्ज किया गया तथा मुकदमा अपराध सं0 1322/2004 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम , अभियुक्त जयपाल के विरूद्ध दर्ज किया गया। मामले की विवेचना की गयी तथा विवेचना के दौरान अभियुक्तगण सत्यपाल , कमनपाल व जयपाल के विरुद्ध अपराध सं0 1319/2004 में धारा

307 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र सं०–282/2004 दिनांकित 30.12.2004 तैयार करते हुए विवेचना पूरी की गयी। इस आरोपपत्र पर दिनांक 31.01.2005 को अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्त सत्यपाल के विरूद्ध अपराध सं0 1320/2004 में धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0 283/2004 दिनांकित 30.12.2004 अलग से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2005 को अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्त कमनपाल के विरूद्ध अपराध सं0 1321/2004 में धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0 284/2004 दिनांकित 30.12.2004 अलग से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2005 को अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्त जयपाल के विरूद्ध अपराध सं0 1322/2004 में धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0 285/2004 दिनांकित 30.12.2004 अलग से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2005 को अपराध का संज्ञान लिया गया। दिनांक 31.05.2012 को अभियुक्तगण सत्यपाल, कमनपाल व जयपाल के विरुद्ध धारा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत , अभियुक्त सत्यपाल के विरूद्ध धारा 25 आयुध अधिनयम के अन्तर्गत , अभियुक्त कमनपाल व जयपाल के विरूद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनयम के अन्तर्गत आरोप तय किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों का खण्डन किया और विचारण की मांग की। अभियोजन का साक्ष्य लेने के उपरान्त दिनांक 05.05.2026 को अभियुक्तगण उपरोक्त की परीक्षा धारा 313 दं0 प्र0 सं0 अंकित की गयी। अभियुक्तगण ने घटना का खण्डन किया और स्वयं को निर्दोष बताया।

3. <u>अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य इस प्रकार हैं</u>–

क. मौखिक साक्ष्य

क्र0 सं0	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	प्रकृति
1.	पी.डब्लू. 1	मदनपाल	कथित घटना की सूचना देने वाला साक्षी
2.	पी.डब्लू. 2	उ0नि0 विनोद कुमार	अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार करने वाला साक्षी
3.	पी.डब्लू. 3	कां0 हरेन्द्र सिंह	मौके का गवाह
4.	पी.डब्लू. 4	उ0नि0 कृष्ण कुमार गौतम	विवेचक

ख. दस्तावेजी साक्ष्य

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	अभिलेखीय प्रपत्र
1.	प्रदर्श क–1	फर्द
2.	प्रदर्श क–2	नक्शा नजरी
3.	प्रदर्श क–3	आरोप पत्र मु0अ0सं0 1319/2004 , धारा 307 भा0दं0सं0

4.	प्रदर्श क–4	आरोप पत्र मु0 अ 0 सं0 1320/2004 , धारा 25 आयुध अधिनियम
5.	प्रदर्श क–5	आरोप पत्र मु0 अ 0 सं0 1321/2004 , धारा 4/25 आयुध अधिनियम
6.	प्रदर्श क–6	आरोप पत्र मु0 अ 0 सं0 1322/2004 , धारा 4/25 आयुध अधिनियम
7.	प्रदर्श क–7	अभियोग चलाये जाने की अनुमति
8.	प्रदर्श क–8	प्रथम सूचना रिपोर्ट
9.	प्रदर्श क–9	नकल जी0 डी0 कायमी

4. <u>अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्षियों की मुख्य परीक्षा/सुसंगत अंश क्रमवार इस प्रकार हैं</u>–

साक्षी पी0 डब्लू0–1 मदनपाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 07.08.2014 में यह कथन किया है कि दिनांक 28.12.2004 समय 06.30 बजे शाम को मेरी सूचना पर थाना हसनपुर की पुलिस हेबतपुर से आगे जाकर मुल्जिमान सत्यपाल पुत्र हेमराज, कमनपाल पुत्र सूखा और जयपाल पुत्र गंगाराम सिंह को गिरफ्तार नहीं किया था न ही मेरे सामने इन लोगों ने पुलिस पर कोई फायर किया और न ही मुल्जिमान के कब्जे से पुलिस ने नाजायज असलहे की बरामदगी की , ऐसे किसी मौके पर मैं नहीं था।

साक्षी पी0 डब्लू0–2 उ0नि0 विनोद कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 11.07.2023 में कथन किया है कि दिनांक 28.12.2004 को मैं कॉस्टेबल के पद पर थाना हसनपुर पर तैनात था। उस दिन मदनपाल पुत्र दर्शन सिंह , ग्राम पतेई भूड़ ने थाना हसनपुर में सूचना दी थी कि मेरे मुकदमे अपराध संख्या 1317/2044 , धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता में मेरे साथ दिनांक 27.12.2004 को ग्राम डोंग खेड़ा के जंगल में घटना की थी। उसमें शामिल तीनों अभियुक्त सम्भल अड्डे से ग्राम हैबतपुर की ओर जा रहे थे। इस सूचना पर विश्वास कर उ०नि० वीरेन्द्र सिंह, कॉ. हरेन्द्र सिंह, कॉ. योगेन्द्र सिंह के साथ वादी उपरोक्त को लेकर निजी मोटरसाईकिल से सम्भल अड्डे पर पहुंचा तो वहां पर गवाह फराम करने की कोशिश की तो जनता का कोई गवाह भलाई–बुराई के कारण तैयार नहीं हुआ और बगैर नाम पता बताये चले गये थे। इनके बाद सम्भल अड्डे से ग्राम हैबतपुर की तरफ चल दिये थे। खड़ंजा समाप्त होने पर पक्की सड़क के पास पहुंचे तो सड़क पर तीन व्यक्ति खड़े दिखाई दिये जिन्होंने अचानक अपने नजदीक पुलिस को आता देख कहा कि पुलिस आ गई है, पुलिसवालों को जान से मार दो। इस पर एक बदमाश ने पुलिसपार्टी पर जान से मारने की नियत से अपने तमंचे से फायर कर दिया जिससे हम बाल–बाल बचे गये। पुलिस पार्टी ने साहस का परिचय देते हुए एकदम दबिस देकर आवश्यक बल प्रयोग कर तीनों व्यक्तियों को मौके पर ही पकड़ लिया। पकड़े गये एक व्यक्ति की जामातलाशी व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सत्यपाल पुत्र हेमराज , निवासी बटुआ , थाना पाकबड़ा , जिला मुरादाबाद बताया। जामा तलाशी में उसके पास से एक तमंचा देशी 12 बोर जो चालू हालत में तथा नाल में एक खोखा कारतूस फंसा था। नाल में ताजा बारूद की गंध आ रही थी तथा पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से दो जिन्दा कारतूस बरामद हुए थे तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम कमनपाल बताया। जामातलाशी से पेन्ट की दायीं जेब से एक अदद चाकू नाजायज जिसमें खोलने व बंद

करने के लिए पीतल का खटका लगा था तथा तीसरे ने अपना नाम जयपाल पुत्र गंगाराम सैनी , निवासी दड़ियाल , थाना आदमपुर जिसकी जामा तलाशी पर पहनी पैंट की दाहिनी जेब से एक अदद चाकू नाजायज मछलीनुमा बरामद हुआ था। अभियुक्तगण से बरामद चाकू व तमंचा का हुलिया मुताबिक फर्द है। फर्द मौके पर टार्च की रोशनी में ही विरेन्द्र के द्वारा तैयार की गई थी। अभियुक्त को उनके जुर्म से अवगत करा दिया था। फर्द पर मेरे व हमराहीयान के हस्ताक्षर कराये थे तथा अभियुक्तगण के अंगूठे व हस्ताक्षर कराये थे तथा अभियुक्तगण के अंगूठे लगवाये गये थे। फर्द पत्रावली पर मौजूद है। गवाह ने देखकर, पढ़कर कहा कि यह वही फर्द है जो उ०नि० वीरेन्द्र कुमार द्वारा तैयार की गई थी। जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, साबित करता हूं, जिस पर प्रदर्श क– 1 डाला गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर व माल मुकदमें को सील कर थाने पर लाये थे। उ०नि० वीरेन्द्र कुमार द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना हसनपुर में मुकदमा पंजीकृत कराया था। माल मुकदमें के सम्बन्ध में पेरौकार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि माल चोरी/गायब हो चुका है जिसकी रिपोर्ट उ०नि० रामवीर सिंह सदर मालखाना अमरोहा जो थाना पैरोकार दीपक द्वारा प्रेषित की गई है। रिपोर्ट के साथ में सदर मालखाना के पूर्व मोहर्रिर के विरूद्ध माल गवन के सम्बन्ध में अपराध संख्या 1471/2010 धारा 409 व 29 पी० एक्ट बनाम रामकुमार की प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति दाखिल की है। मुकदमा उपरोक्त के विवेचक उ०नि० कृष्ण कुमार गौतम को मैंने लिखते पढ़ते देखा है। वह मेरे साथ तैनात रहे हैं। इन्होंने मेरे बयान लिये हैं।

साक्षी पी0 डब्लू0–3 हेड कां0 432 हरेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 01.08.2023 में कथन किया है कि मैं दिनांक 28.12.2004 को कां० के पद पर थाना हसनपुर में तैनात था। उसी दिन मुकदमा अपराध संख्या 1317/2004 धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता के वादी मदनपाल के द्वारा थाने में सूचना दी थी कि उसके साथ दिनांक 27.12.2004 को ग्राम डोम खेड़ा के जंगल में घटना की थी। उसमें शामिल तीन लोग जो सम्भल अड्डे से ग्राम हैबतपुर की ओर जा रहे हैं। सूचना पर विश्वास करके मै व हमराहीयान कॉ. विनोद कुमार, एस०आई० वीरेन्द्र सिंह , कॉ. योगेन्द्र सिंह के साथ वादी को साथ लेकर सम्भल अड्डे पर पहुंचे। सम्भल अड्डे से ग्राम हैबतपुर की ओर खडंजा समाप्त होने पर पक्की सड़क पर पहुंचे तो तीन लोग खड़े दिखाई दिये। अचानक अपने नजदीक पुलिस को आता देखकर कहा कि पुलिसवालें आ गये हैं, पुलिसवालों को जान से मार दो। एक बदमाश ने पुलिसपार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया जिससे मैं व पुलिसवालें बाल–बाल बच गये। हम पुलिसवालों ने आवश्यक बल प्रयोग कर तीनों व्यक्तियों को मौके पर पकड़ लिया था। जामा तलाशी ली गई तो एक ने अपना नाम सत्यपाल पुत्र हेमराज निवासी बटुआ थाना पाकबड़ा जिला मुरादबाद बताया जिसकी जामा तलाशी पर दाहिने हाथ से एक अदद तमंचा 12 बोर चालू हालत में था, नाल में एक खोखा कारतूस फंसा था। नाल में ताजे चले बारूद की गंध आ रही थी तथा पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से दो जिन्दा कारतूस बरामद हुए थे तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम कमनपाल पुत्र सूखा निवासी बटुआ थाना पाकबड़ा, जिला मुरादाबाद बताया, जामा तलाशी में पहनी पेन्ट की दाहिनी जेब से एक अदद चाकू नाजायज जिसमें खोलने व बन्द करने के लिए पीतल का एक खटका लगा था तथा तीसरे ने अपना नाम जयपाल पुत्र गंगाराम सैनी , निवासी दढियाल थाना आदमपुर जिसकी तलाशी से पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से एक अदद चाकू नाजाजय बरामद हुआ था। अभियुक्तगणों से बरामद तमंचा व चाकू हुलिया मुताबिक फर्द है। फर्द मौके पर एस०आई० वीरेन्द्र सिंह के द्वारा टार्च की रोशनी में तैयार की थी। मेरे व हमराहियान के हस्ताक्षर कराये थे तथा पढ़कर अभियुक्तगण का निशानी अंगूठा लगाया था। अभियुक्तगण से बरामद माल को सील कर सर्वे मोहर व नमूना मोहर बनाया गया था। पत्रावली पर फर्द को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही फर्द है जिसे एस०आई० वीरेन्द्र कुमार के द्वारा बनाया गया था , जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, साबित करता हूं , जिस पर पूर्व में प्रदर्श क –1 पड़ा है।

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करके थाने लेकर आये थे एवं एस०आई० वीरेन्द्र कुमार के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।

साक्षी पी0 डब्लू0–4 उ0नि0 कृष्ण कुमार गौतम ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 07.04.2026 में कथन किया है कि दिनांक 28.12.2004 को मैं बतौर उ0नि0 थाना हसनपुर पर तैनात था। इस दिन मुझे मु0अ0सं0 1319/2004 धारा 307 भा० दं० सं० बनाम सत्यपाल आदि, मु0अ0सं0 1320/2004 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम सत्यपाल, मु0अ0सं0 1321/2004 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम कमनपाल व मु0अ0सं0 1322/2004 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम जयपाल थाना हसनपुर जनपद अमरोहा की विवेचनायें प्राप्त हुई थी। विवेचना ग्रहण कर इस दिन मेरे द्वारा नकल चिक, नकल रपट, बयान प्र०सू० रि० लेखक का० क्लर्क जसवंत सिंह तथा गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण सत्यपाल, कमनपाल व जयपाल के कथन अंकित किये गये थे। दिनांक 29.12.2004 को वादी मुकदमा उ० नि० विरेन्द्र सिंह व फर्द के साक्षीगण का० विनोद कुमार, का० हरेन्द्र सिंह, का० योगेन्द्र त्यागी व स्वतंत्र साक्षी मदन पाल सिंह के कथन उनसे पूछताछ कर सी० डी० मे अंकित किये गये। दिनांक 30.12.2004 को वादी मुकदमा की निंशादेही पर घटना स्थल पर पहुँचकर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी मेरे द्वारा मेरे हस्तलेख मे तैयार किया गया था जो कि पत्रावली पर कागज संख्या 7 क के रूप में मौजूद है जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने है , पहचानता हूँ , साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया तथा इसी दिन समायी साक्ष्य के रूप मे साक्षीगण अनवार व आबिद के कथन अंकित किये गये तथा इसी दिन अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के आधार पर आरोप पत्र संख्या 282/2004 दिनांकित 30.12.2004 अन्तर्गत धारा 307 भा० दं० सं० तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रेषित किया गया जो कि पत्रावली पर कागज संख्या 3 क के रूप मे मौजूद है , जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने है , पहचानता हूँ , साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया तथा इसी दिन आरोप पत्र संख्या 283/2004 दिनांकित 30.12.2004 अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रेषित किया गया जो कि पत्रावली के साथ समेकित पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 25/2012 पर कागज संख्या 3 क के रूप मे मौजूद है जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने है , पहचानता हूँ , साबित करता हूँ ,जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया तथा इसी दिन आरोप पत्र संख्या 284/2004 दिनांकित 30.12.2004 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रेषित किया गया जो कि पत्रावली के साथ समेकित पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 26/2012 पर कागज संख्या 3 क के रूप में मौजूद है जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने है , पहचानता हूँ , साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया तथा इसी दिन आरोप पत्र संख्या 285/2004 दिनांकित 30.12.2004 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रेषित किया गया जो कि पत्रावली के साथ समेकित पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 27/2012 पर कागज संख्या 3 क के रूप में मौजूद है जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने है , पहचानता हूँ , साबित करता हूँ , जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। अभियुक्त सत्यपाल के विरूद्ध आयुध अधिनियम का अभियोग चलाने हेतु तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट महोदय से अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र पूर्व मे ही प्रेषित किया जा चुका था। जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति पत्रावली के साथ समेकित पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 25/2012 पर कागज संख्या 8 क के रूप में मौजूद है जिस पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट महोदय के हस्ताक्षर बने है , पहचानता हूँ , साबित करता हूँ , जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। का० क्लर्क जसवंत सिंह को मै भली–भाँति जानता हूँ वो मेरे साथ थाने पर काफी समय तैनात रहे हैं , मैने उनको लिखते–पढ़ते देखा है, मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को भली–भाँति पहचानता हूँ। पत्रावली पर संलग्न प्र० सू० रि० को देखकर साक्षी ने बताया कि यह प्र० सू० रि० का० क्लर्क जसवंत सिहं के

हस्तलेख मे है , इस पर उनके हस्ताक्षर बने है , पहचानता हूँ , साबित करता हूँ , जिस पर प्रदर्शक–8 डाला गया। पत्रावली पर संलग्न जी0 डी0 नं0 54 समय 21.30 बजे दिनांकित 28.12.2004 की कार्बन प्रति को देखकर कहा कि यह जी0 डी0 भी जसवंत के हस्तलेख में है, इस पर मेरे हस्ताक्षर बने है, पहचानता हूँ, साबित करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया।

5. <u>बहस/अधिवक्ताओं के तर्क–</u>

बहस का आरम्भ करते हुए विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा कहा गया कि अभियुक्त के द्वारा पुलिसकर्मियों पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया गया है। विवेचक ने छानबीन के बाद साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया है। अभियोजन के साक्षी पी0 डब्लू0 02 व पी0 डब्लू0 03 ने अपनी मुख्य परीक्षा बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है। अतः अभियुक्त पुलिस पर जानलेवा हमला करने के लिए कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने के पात्र हैं।

बचाव पक्ष की ओर से बहस करते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। किसी पुलिस कर्मचारी को कोई चोट नहीं आयी है। अभियोजन के साक्षी पी0 डब्लू0 01 मदनपाल ने अपनी मुख्य परीक्ष में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा कथित घटना से इंकार किया है। पुलिस के वाहन पर भी कोई छर्रा नहीं लगा है। हथियारों को विशेषज्ञ परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया है। विवेचनाधिकारी थाना प्रभारी का अधीनस्थ है , इसलिए उसने निष्पक्ष विवेचना नहीं की है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियारों के अतिरिक्त कोई रूपया आदि कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। बयानों में विरोधाभास है। अभियुक्त संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्ति का अधिकारी है।

6. <u>साक्ष्य का विश्लेषण–</u>

सुना गया तथा अवलोकन किया गया।

अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाले अभियोजन के साक्षी पी0 डब्लू0–2 उपनिरीक्षक विनोद कुमार का यह कहना है कि मदनपाल पुत्र दर्शन सिंह नामक व्यक्ति ने उन्हें यह सूचना दी कि उसके ऊपर हुए हमले के मुकदमा संख्या 1317/2004 धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधी सम्भल अड्डे से ग्राम हैवतपुर की ओर जा रहे हैं। इस सूचना पर साक्षी पी0 डब्लू0 02 अन्य पुलिस कर्मी साक्षी पी0 डब्लू0–3 हरेंद्र सिंह आदि के साथ बताये गये स्थान पर पहुँचा तो सामने से तीन व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये , जिनमें से एक ने अचानक पुलिस को देखकर तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस द्वारा घेरकर पकड़े जाने पर एक व्यक्ति ने अपना नाम सत्यपाल दूसरे ने अपना नाम कमनपाल तथा तीसरे ने अपना नाम जयपाल बताया। इनसे हथियार एवं कारतूस बरामद हुए। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके थाने लाया गया।

इस गिरफतारी के गवाह के बयान के अनुसार मदनपाल नामक की सूचना पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। मदनपाल नामक व्यक्ति को अभियोजन द्वारा साक्षी पी0 डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है , जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि उसकी सूचना पर पुलिस ने अभियुक्तों में से किसी को गिरफ्तार नहीं किया , न ही अभियुक्तों ने पुलिस पर कोई फायर किया और न ही अभियुक्तों के कब्जे से कोई अवैध हथियार बरामद हुए। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में भी यह कहा है कि दिनांक 28.12.2004 को पुलिस ने गाड़ी भेजकर उसे थाने बुलाया था और तीन व्यक्ति दिखाये थे। पूछा था कि क्या इन लोगों ने ही फायर किया था। पुलिस

के पूछने पर उसने मना कर दिया था। फर्द बरामदगी पर भी उसके दस्तख्त थाने में ही कराये गये थे।

उपरोक्तानुसार एकमात्र स्वतंत्र साक्षी , जिसकी सूचना पर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया , उसने अभियोजन के पूरे मामले का खण्डन कर दिया है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से हो रही है कि पुलिस पर फायर किये जाने के बाद भी किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आयी। इस प्रकार अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है।

07. <u>अंतिम निष्कर्ष</u>–

इस मामले के समस्त तथ्य अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को संदेह से युक्त दर्शा रहे हैं। अभियोजन मामले को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के अधिकारी है। अतः **अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।**

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **सत्यपाल , कमनपाल एवं जयपाल** को सत्र परीक्षण सं0 24/2012 एवं मुकदमा अपराध सं0 1319/2004 में लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा **307** सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से **दोषमुक्त किया जा रहा है।**

अभियुक्त **सत्यपाल** को सत्र परीक्षण सं0 25/2012 एवं मुकदमा अपराध सं0 1320/2004 में लगाये गये आरोप अंतर्गत आयुध अधिनियम की धारा 25 खण्ड 1–बी के अपराध से **दोषमुक्त किया जा रहा है।**

अभियुक्त **कमनपाल** को सत्र परीक्षण सं0 26/2012 एवं मुकदमा अपराध सं0 1321/2004 में लगाये गये आरोप अंतर्गत आयुध अधिनियम की धारा 25 खण्ड 1–बी (एच) के अपराध से **दोषमुक्त किया जा रहा है।**

अभियुक्त **जयपाल** को सत्र परीक्षण सं0 27/2012 एवं मुकदमा अपराध सं0 1322/2004 में लगाये गये आरोप अंतर्गत आयुध अधिनियम की धारा 25 खण्ड 1–बी (एच) के अपराध से **दोषमुक्त किया जा रहा है।**

अभियुक्तगण जयपाल व कमनपाल जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः अभियुक्तगण जयपाल व कमनपाल का रिहाई आदेश अविलम्ब जिला कारागार को प्रेषित किया जाये।

अभियुक्तगण के बन्धपत्र और प्रतिभूओं के बन्ध पत्र दायित्व से मुक्त किये जा रहे हैं।

धारा 437 ए दं0 प्र 0 सं0 के अन्तर्गत दाखिल मुचलके अपील किये जाने की अवस्था में अपीलीय न्यायालय के आदेश तक तथा अपील न किये जाने पर अपील की अवधि समाप्त होने तक प्रभाव में रहेंगे , उसके पश्चात स्वतः दायित्वों से मुक्त हो जायेंगे।

निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्तगण को उपलब्ध करवायी जाए।

दिनांक– 06.06.2026

(संजय चौधरी)
Id. No:–UP6401
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
जनपद अमरोहा

निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांकित करके सुनाया गया और हस्ताक्षरित किया गया।

दिनांक– 06.06.2026

(संजय चौधरी)
Id. No:–UP6401
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
जनपद अमरोहा।